न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस

ऑन लाईन नम्बर 2023/20

प्रकरण संख्या 09/23 दायर दिनांक 16.03.2023

1. श्री अशोक कुमार चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी चौबीसा निवासी निर्मला सदन, हरिओम स्ट्रीट, न्यू कॉलोनी डूंगरपुर (राजस्थान)
2. श्री यशवन्त कुमार चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी चौबीसा बेकर्स स्ट्रीट न्यु कॉलोनी डूंगरपुर (राजस्थान)
3. श्री जैनेन्द्र चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री पियुष चन्द्रजी चौबीसा निवासी प्रताप नगर डूंगरपुर (राजस्थान)
4. श्रीमती प्रतिभा चौबीसा आत्मजा स्वर्गीय श्री पियुषचन्द्र जी चौबीसा पत्नी श्री ज्योतिशेखर चौबीसा निवासी आईसीआईआईआई बैंक के उपर सेक्टर–14 गोवर्धन विलास उदयपुर (राजस्थान)
5. श्रीमती वन्दना शर्मा आत्मजा स्वर्गीय श्री पियुषचन्द्र जी चौबीसा पत्नी श्री विनोद शर्मा निवासी 11–12 आशी रेजीडेन्सी, कृष्णा सागर कॉलोनी, मुहाना रोड, मानसरोवर जयपुर (राजस्थान)
6. श्री कमलेश चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री पियुषचन्द्रजी चौबीसा निवासी 138 एल ब्लॉक, इन्दिरा नगर सेक्टर 14 उदयपुर (राजस्थान)
7. श्रीमती कलावती चौबीसा पत्नी स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्रजी चौबीसा निवासी मोहल्ला घाटी डूंगरपुर (राजस्थान)
8. श्री मुकेश चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र जी चौबीसा नौकरी निवासी 2/58 बैंक ऑफ इण्डिया के सामने जयपुर (राजस्थान)
9. **स्वर्गीय श्री निशीथ चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र चौबीसा जरिये विधिक प्रतिनिधिगणः–**
   - 9/1 श्रीमती रीना चौबीसा पत्नी स्वर्गीय श्री निशीथ चौबीसा
   - 9/2 श्री आशु आत्मजा श्री निशीथ चौबीसा निवासी मोहल्ला घाटी डूंगरपुर (राजस्थान)
   - 9/3 सुश्री जन्या आत्मजा श्री निशीथ चौबीसा निवासी मोहल्ला घाटी निवासी डूंगरपुर(राजस्थान)
10. श्री निखिल चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्रजी चौबीसा आयु 60 वर्ष व्यसाय वकालत निवासी मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर (राजस्थान)

——वादीगण

विरूद्ध

1. श्रीमती ललिता चौबीसा पत्नी स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा निवासी फौज के बडले से आगे, मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर (राजस्थान)
2. श्री किशोर कुमार चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा निवासी मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर हाल निवासी आर–25 प्रभातनगर हिरण मंगरी सेक्टर–5 उदयपुर (राजस्थान)
   मृतक के वारिसान कायम मुकाम
   - 2/1 श्रीमती चंचला देवी पत्नी स्व. श्री किशोर कुमार चौबीसा निवासी उदयपुर (राजस्थान)
   - 2/2 श्री अमीत शर्मा पुत्र स्व. किशोर कुमार चौबीसा निवासी उदयपुर (राजस्थान)
   - 2/3 श्री मधुरेश शर्मा पुत्र स्व. किशोर कुमार चौबीसा निवासी उदयपुर(राजस्थान)
   - 2/4 श्री जय शर्मा पुत्र स्व. किशोर कुमार चौबीसा निवासी उदयपुर(राजस्थान)
   - 2/5 श्रीमती शीतल शर्मा पुत्री स्व. किशोर कुमार चौबीसा पत्नी योगेशचन्द्र जी पुरोहित निवासी बांसवाडा (राजस्थान)
3. श्री जगमोहन चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा निवासी मोहल्ला घाटी हाल निवासी गली नम्बर 1 एकलव्य नगर गोकुलपुरा रोड डूंगरपुर (राजस्थान)

4. श्री जुगल किशोर चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्रजी चौबीसा, मोहल्ला घाटी, हाल निवासी इन्जीनियर की की गली, गणपति मन्दिर के पास डूंगरपुर (राजस्थान)

5. श्री उपेन्द्र चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा मोहल्ला घाटी, हाल निवासी इन्जीनियर की गल, गणपति मन्दिर के पास डूंगरपुर (राजस्थान)

6. श्रीमती मन्जुला चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र चौबीसा पत्नी स्वर्गीय श्री अकलेश्वर चौबीसा निवासी मोहल्ला घाटी हाल निवासी पत्रकार कॉलोनी, रोडवेज बस स्टेण्ड के पास डूंगरपुर (राजस्थान)

7. श्रीमती वीणा चौबीसा आत्मजा स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा पत्नी स्वर्गीय श्री दिनेशजी चौबीसा नवारी माताजी मन्दिर के पास शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डूंगरपुर (राजस्थान)

8 श्री लोकेश चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा निवासी मोहल्ला घाटी हाल निवासी 1/46 शिवाजी नगर हाउसींग बोर्ड कॉलोनी डूंगरपुर (राजस्थान)

9. श्री राजेश चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा निवासी फौज के बडले से आगे मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर (राजस्थान)

10. श्रीमती रमाकान्ता पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमशंकर जी चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी आत्मजा स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी चौबीसा निवासी भुवेनश्वरी कॉलोनी रोडवेज डिपो के पास डूंगरपुर (राजस्थान)

11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार दोवडा जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा और विभाजन अर्न्तगत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता।

उपस्थित :—

1. श्री संजीव भाटनागर/ श्री महेश कुमार जैन, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से
2. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से
3. पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक 02.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध वाद वास्ते घोषणा और विभाजन इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम चक सरकण कोपचा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर में भूमि रकबा 13 वीघा 01 बिस्वा महारावल साहब डूंगरपुर ने दिनांक 01.11.1967 को श्री जवाहरलाल जी पिता पूनमचन्द जी चौबीसा के पक्ष में पट्टा निष्पादित कर प्रदान की गई थी। श्री जवाहरलालजी एवं उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। संवत 2042 में राजस्व रिकार्ड तैयार करने पर भूमि को विलानाम दर्ज कर उसमें श्री जवाहरलालजी का नाम अंकित किया तथा उनका निधन होने पर पुत्र श्री हरिशचन्द्र जी का नाम दर्ज हुआ एवं उनके निधन के पश्चात् पत्नी श्रीमती ललीता देवी का नाम दर्ज हुआ है। वाद वर्णित भूमि श्रीमती ललीता देवी के नाम आवंटन हुई है। वाद वर्णित भूमि में वादीगण का भी स्वामीत्व मुताबिक कौटुम्बिक समझौता के होता है। अतः वाद वर्णित भूमि में वादीगण का स्वामीत्व घोषित कर उसका बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त हुये। प्रतिवादीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी का प्रस्तुत किया गया। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 श्री

किशोर कुमार का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री महेश जैन के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के क्रम में उपस्थित अधिवक्तागण एवं पेरोकार सरकार की बहस समायत की गई। श्री महेश जैन अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब को ही बहस माना जाने एवं श्री संजीवजी द्वारा बहस करने कहा गया। प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित हुये योग्य अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि वादीगण की ओर से महारावल साहब डूंगरपुर श्रीमान् लक्ष्मणसिंहजी के द्वारा पक्षकारगणों के पूर्वज श्री जवाहरलाल जी चौबीसा को कथित रूपेण दिनांक 01.11.1967 को हस्त नक्षा प्रदान की गई भूमि रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा को आधार बना वाद प्रस्तुत किया गया है। महारावल साहब द्वारा प्रदत्त उक्त भूमि बाबत् न्यायालय जिलाधीश डूंगरपुर में दिनांक 11.11.75 को प्रकरण संख्या 3/75 Rajsthan Land reforms And Acquisition of Land owners estate Act 1963 (Ammendment ordinance 1975) के तहत उनवानी राज्य सरकार (प्रार्थी) विरूद्ध श्री जवाहरलाल पिता पूनमचन्दजी चौबीसा (अप्रार्थी) के प्रकरण दायर हुआ था जिसमें अप्रार्थी श्री जवाहरलाल द्वारा अपना विस्तृत जवाब दिनांक 13.01.76 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जिलाधीश डूंगरपुर ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 14.04.1976 में श्री लक्ष्मणसिंह भूतपूर्व नरेश डूंगरपुर द्वारा दिनांक 01.11.67 को श्री जवाहरलाल चौबीसा को प्रदान की गई भूमि रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के स्थानान्तरण को अवैधानिक मानते हुये तहसीलदार डूंगरपुर को आदेश दिया कि वह इस भूमि का कब्जा अविलम्ब लेकर प्रतिवेदन भेजें। श्री जवाहरलाल द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही की जिसमें उक्त निर्णय अंतिम हुआ एवं भूमि सरकार में समाहित हो गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादीगण कौटुम्बिक समझोते को लेकर आये है जो राजस्व न्यायालय में विचारणीय नही है। महारावल साहब डूंगरपुर द्वारा श्री जवाहरलाल को कथित रूपेण प्रदत्त भूमि एवं विपक्षीया संख्या 1 को आवंटित भूमि में कोई साम्यता नही है। वादीगण के वाद के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि किता 22 रकबा 2.9900 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती ललीतादेवी को राजकीय अनाधिकृत एवं उदघोषित भूमि को नियमानुसार बाद जॉच आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजगें आम में किमतन कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी में आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है जिस अनुसार आवंटिया के मौके पर काबिज हो आवंटन शर्तो की पालना करने पर उन्हे विधिवत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। वादीगण के वाद अनुसार उन्हे वाद वर्णित भूमि एवं आवंटन की प्रारम्भ से ही जानकारी रही हैं ऐसी स्थिति में न तो कोई वाद कारण एवं न ही वाद हेतुक उत्पन्न होता हैं। वादीगण का वाद वर्णित भूमि में कोई हित व अधिकार नही है। प्रस्तुत वाद अवधि व नियम क्षेत्राधिकार से बाधित है। अतः वादीगण का वाद वार्ड बाई लॉ होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण आदेश 7 नियम 11(A)(D) जा.दी0 के तहत इसी स्तर पर खारीज किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायायिक निर्णयों का ध्यानाकर्षण कराया है :-

1- H.C. 2017(2) CT (Raj)Page 511
2- H.C. RLW 2000(2) Raj Page 1205
3- S.C. 2017(2)RRT Page 1037
4- S.C. 2013(1) RRT Page 699

वादीगण की ओर से वक्त बहस उपस्थित हुये योग्य अधिवक्ता ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2024 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वादीगण का वाद कृषि भूमि के घोषणा एवं विभाजन का है जिसका निर्णय जवाब दावा एवं साक्ष्य उपरान्त किया जाना है। कौटुम्बिक समझौता की वैद्यता साक्ष्य में देखी जावेगी। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जादी. के निस्तारण में वाद पत्र को ही देखा जाना चाहिये तथा वाद पत्र पर निर्णय साक्ष्य उपरान्त ही लिया जा

सकता है। वाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न होना अंकित है एवं वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र विपक्षीगण को निरस्त किया जावे एवं वाद का निरतरण साक्ष्य उपरान्त किया जाना न्याय संगत है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन करते हुये प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वादीगण डूंगरपुर राज्य के पूर्व शासक महारावल साहब श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा पक्षकारगणों के पूर्वज श्री जवाहरलाल चौबीसा को कथित रूपेण दिनांक 01.11.1967 को प्रदत्त 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि को आधार बना वाद लेकर घोषणा करा विभाजन कराने हेतु न्यायालय हांजा में आये है। उक्त भूमि बावत् तत्कालिन जिला कलक्टर डूंगरपुर के न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से श्री जवाहरलाल चौबीसा के विरूद्ध भू सम्पदा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 3/75 प्रस्तुत किया गया था जिसके निर्णय दिनांक 14.04.1976 में महारावल साहब के द्वारा श्री जवाहरलाल चौबीसा को किये गये हस्तान्तारण को अवैधानिक माना जाकर भूमि का कब्जा सरकार द्वारा लिया गया था। विपक्षी श्री जवाहरलाल चौबिसा जो स्वयं एक अधिवक्ता थे एवं वह मामले को समझते थे तथापि उनके द्वारा निर्णय दिनांक 14.04.1976 के विरूद्ध आगे सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना विदित नही होता है। प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमती ललीता देवी को उद्घोषित राजकीय अनाधिकृत भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद जॉच मुताबिक आवंटन हेतु पात्र माना जाकर सक्षम अधिकारी की मुताबिलक रिपोर्ट मजमे आम में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है जो रकबा 2.9900 हेक्टेयर होकर मौके पर कब्जा सुपुर्द करने एवं रिकॉर्ड में अंकन होने के उपरान्तर आवंटन शर्तो की पालना करने पर उन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। वादीगण के वाद पत्र एवं उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादीगण को जिला कलक्टर डूंगरपुर में पूर्व में चली कार्यवाही प्रकरण संख्या 3/75 एवं बाद में सरकार तहसीलदार द्वारा कब्जा लेने की जानकारी रही है। वादीगण का इस तथ्य से भी भली-भॉति वाकीफ होना माना जाता है कि प्रतिवादीयां संख्या 1 श्रीमती ललीता देवी को राजकीय अनाधिकृत भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुआ है। वादीगण द्वारा उक्त दोनों कार्यवाहीयों के विरूद्ध आगे कही सक्षम न्यायालयों में किसी प्रकार की चारा जोही नही की गई है एवं अब प्रतिवादीया संख्या 1 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की घोषणा एवं विभाजन का वाद लेकर आये है इस प्रकार मेरा मानना है कि वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नही होता है एवं वाद अवधि से भी बाधित है। वादीगण के वाद पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायिक नजीरों के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ है जिससे इसमें अन्य किसी तथ्यों की विवेचना की आवश्यकता नही रहती है तथा वादीगण का वाद इस स्तर पर खारीज योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2024 विपक्षीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. को स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद राजस्व ग्राम चक सरकण कोपचा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर में स्थित वाद के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि किता 22 रकबा 2.9900 हेक्टेयर बाबत् इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 02.06.2025 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खूले न्यायालय में घोषित किया गया।

(सांवरलाल आमासरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6–7 जा.दी.)

अज अदालत
बईजलास

उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकाम डूंगरपुर राजस्थान
श्री सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

ऑन लाईन नम्बर 2023/20

प्रकरण संख्या 09/23

दायर दिनांक 16.03.2023

1. श्री अशोक कुमार चौबीसा आत्मज स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी चौबीसा आयु 72 वर्ष, व्यवसाय सेवा निवृत कर्मचारी निवासी निर्मला सदन, हरिओम स्ट्रीट, न्यू कॉलोनी डूंगरपुर (राजस्थान) वगैराह

—वादीगण

–: बनाम :–

1. श्रीमती ललिता चौबीसा पत्नी स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र जी चौबीसा आयु 88 वर्ष व्यसाय गृहिणी निवासी फौज के बडले से आगे, मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर (राजस्थान) वगैराह

—प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा और विभाजन अर्न्तगत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिवादीगण दवारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू सांवरलाल आबासरा पक्षकारान बहाजरी श्री संजीव भटनागर मिनजानिब मुद्दई व प्रेमपुरी एडवोकेट मिनजाबि मुदायलाह पेश होकर हूक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है : –

प्रार्थना पत्र विपक्षीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी को स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद राजस्व ग्राम चक सरकण कोपचा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर में स्थित वाद के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि किता 22 रकबा 2.9900 हेक्टेयर बाबत् खारीज किया जाता है।

बसखत मेरे दस्तगखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02 माह 06 सन् 2025 से जारी की गई।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा		स्टाम्प वकालत नामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		मेहनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
वक्त ईजराय		वक्त ईजराय	
मुतफरीक		मुतफरीक	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर